पत्र संख्या-बी०एस० 3 101189/2003-3645
10/9/2003

बिहार सरकार
निबंधन विभाग ।

प्रेषक,

उप निबंधन महानिरीक्षक ,
निबन्धन विभाग,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/महासचिव/सचिव/कोषाध्यक्ष/श्री -------
------- विवेकानन्द कल्याण समिति -------

ग्राम- -----+----- पोस्ट- ---- वारिसली गंज ----
थाना- --------------- जिला- ----- नवादा -----

विषय:- अभिप्रमाणित प्रतिलिपि निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संस्था को स्मृति-पत्र/नियमावली/आम सभा को प्रस्ताव एवं प्रमाण-पत्र को अभिप्रमाणित प्रतिलिपि निर्गत को जाती है ।

कृपया प्राप्ति स्वीकार को जाय ।

विश्वासभाजन ,

9.9.03

उप निबन्धन महानिरीक्षक,
निबंधन विभाग, बिहार, पटना ।

पत्र संख्या–बी0एस0 3 10/189/2003 + 3529
निबंधन महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय, बिहार, पटना
(दाखिल करने का प्रमाण–पत्र)

– – – – – – – विवेकानन्द कल्याण समिति
– –
– के संबंध में ।

पटना, दिनांक 4/9/2003

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख्य सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट– 21, 1860 के उपबन्धों के अनुसार आज यथावत दाखिल/ निबन्धित/ अभिलिखित किया गया/ किये गये ।

फीस का नाप 50/– (पचास) रूपये केवल ।

संस्था का स्मृति–पत्र/ नियमावली एवं आम सभा के प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।

4.9.03

वास्ते– महानिरीक्षक निबन्धन, बिहार, पटना ।

सचिव,

– – – – – विवेकानन्द कल्याण समिति – –
– – – – ग्राम + पोस्ट – वारिसलीगंज – –
– – – – – – जिला – नवादा – – – – – – – –
– –
– –

की सेवा में उनके पत्र संख्या ______0______ दिनांक 19-8-03 के प्रसंग में अग्रसारित ।

निबन्धन प्रमाण पत्र संलग्न है । प्राप्ति की सूचना दें ।

4.9.03

वास्ते– महानिरीक्षक निबन्धन, बिहार, पटना ।

निबन्धन विभाग	नया सचिवालय	बिहार, पटना

आम सभा का प्रस्ताव

आज दिनांक 15.01.2003 को ''विवेकानन्द कल्याण ~~परिषद्~~ समिति'' नाम संस्था के आम सभा की बैठक अध्यक्ष श्री सच्चिदानन्द सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गये ।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया यगा कि उक्त संस्था का सोसाइटी रजिस्टेशन ऐक्ट 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधन करा लिया जाय ।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया यगा कि उक्त संस्था के कार्य करने के लिए सारा भार सचिव परमानन्द को सौंपा जाए ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आम सभा की प्रस्ताव की सच्ची प्रतिलिपि है।

Sinsu
अध्यक्ष

Parmanand
सचिव

8/4/03

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

विवेकानन्द कल्याण समिति

का

स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : **विवेकानन्द कल्याण समिति**

2. निबंधित कार्यालय : इस संस्था का निबंधित कार्यालय ग्राम+पोस्ट-वारिसलीगंज, जिला-नवादा, बिहार होगा, किन्तु आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान परिवर्तन करने की सूचना निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को 15 दिनों के अन्दर दे दी जायेगी ।

3. कार्यक्षेत्र : इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा । किन्तु उप शाखा कहीं भी खोली जा सकती है।

4. उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

(क) शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वरोजगार हेतु टंकण कला, आशुलिपिक, कम्प्यूटर, हस्तकला, शिल्पकला, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीटपालन के बारे में प्रशिक्षण देगी ।

(ख) संस्था के द्वारा समाज के गरीब एवं निःसहाय महिलाओं एवं पुरूषों को स्वावलम्बी बनाने हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग के बारे में प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बी बनाने में मदद करना ।

(ग) स्वास्थ्य रक्षा हेतु स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना एवं परिवार कल्याण का प्रचार-प्रसार कर परिवार नियोजन शिविर, टीकाकरण शिविर, असाध्य रोग जैसे एड्स, कुष्ठ, यक्ष्मा आदि से बचाव के लिए आवश्यक जानकारी एवंदवा उपलब्ध कराना तथा चिकित्सा केन्द्र की स्थापना कर संचालन की व्यवस्था करना ।

(घ) संस्था महिलाओं एवं पुरूषों को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, एपलिक, कशीदाकारी, पेन्टिंग, गुड़िया मिर्माण, सौन्दर्य एवं प्रसाधन के बारे में प्रशिक्षण देगी ।

(ङ) उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, वयस्क मताधिकार के बारे में लोगों को जागरूक करना ।

(च) अज्ञानता के निवारण हेतु सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, वयस्क शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, सर्वशिक्षा के कार्यक्रमों का संचालन करना एवं शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं संचालन करना।

(छ) पर्यावरण के रक्षार्थ हेतु लोगों को जागरूक करना एवं जलछाजन, वृक्षारोपण कार्यक्रम का संचालन करना तथा लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध कराना ।

Parmanand

8/9/03

(ज) संस्था के द्वारा पुस्तकालय, वाचनालय, विद्यालय, महाविद्यालय की स्थापना कर लोगों को लाभान्वित करना ।

(झ) कृषि विकास हेतु कृषकों को आधुनिक तकनीक सिंचाई के उपर्युकत साधन के बारे में जानकारी देना एवं उपलबध कराना ।

(ट) बाल श्रमिक एवं विकलांग के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना एवं उनके लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास की स्थापना एवं व्यवस्था करना ।

(ठ) विधवा, अनाथ, बच्चे, महिलाओं, परित्यकताओं, वृद्धों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना एवं उनके लिए शिक्षा, चिकित्सा, आश्रय स्थल की समुचित व्यवस्था करना ।

(ड) सांस्कृतिक कार्यक्रम के विकास एवं भारतीय संस्कृति के रक्षा हेतु नाटक, नृत्य, संगीत, वाध की प्रशिक्षण देकर लाभान्वित करना ।

(ढ) ऊर्जा के संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक करना एवं ऊर्जा के विभिन्न श्रोतों की जानकारी देना।

(ण) समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे-बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशाखोरी, जुआ खेलना आदि की रोकथाम हेतु कार्यक्रम संचालित करना।

(त) संस्था के द्वारा बाढ़, अकाल, महामारी, सुखाड़, भूकम्प एवं अन्य आकस्मिक आपदाओं के समय राहत कार्यक्रम चलाना ।

Parmanand
सचिव

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, पेशा एवं पद नीचे दिया गया है, वर्तमान कार्यकारिणी समिति के सदस्य है जिनपर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है ।

क्र.	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद
1.	श्री सच्चिदानन्द सिंह पिता-स्व० महादेव सिंह	ग्राम+पोस्ट-मंजौर, जिला-नवादा ।	समाजसेवा	अध्यक्ष
2.	सुश्री शीतल पिता-अनिरूद्ध शर्मा	ग्राम+पोस्ट-मानुपर, जिला-गया ।	समाजसेवा	कोषाध्यक्ष
3.	श्री परमानन्द पिता-श्री सच्चिदानन्द [redacted]	ग्राम+पोस्ट-मंजौर, जिला-नवादा ।	समाजसेवा	सचिव
4.	श्री बसन्त प्रसाद शर्मा पिता-स्व० जगदेव सिंह	ग्राम+पोस्ट-मंजौर, जिला-नवादा ।	समाजसेवा	सदस्य
5.	श्री रामदेव मोची पिता-श्री सूरज मोची	ग्राम+पोस्ट-मंजौर, जिला-नवादा ।	समाजसेवा	सदस्य
6.	श्री बालेश्वर महतो पिता-स्व० पूरन महतो	ग्राम+पोस्ट-मंजौर, जिला-नवादा ।	समाजसेवा	सदस्य
7.	श्री पवन कुमार पिता-श्री कामेश्वर यादव	ग्राम+पोस्ट-बलवापर, जिला-नवादा ।	समाजसेवा	सदस्य

Parmanand
सचिव

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, पेशा एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है, वर्तमान स्मृति पत्र के अनुसार संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधन के आकांक्षी हैं ।

क्र.	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	हस्ताक्षर
1.	श्री सच्चिदानन्द सिंह पिता-स्व० महादेव सिंह	ग्राम+पोस्ट-मंजौर, जिला-नवादा ।	समाजसेवा	[illegible]
2.	सुश्री शीतल पिता-अनिरूद्ध शर्मा	ग्राम+पोस्ट-मानुपर, जिला-गया ।	समाजसेवा	Shital
3.	श्री परमानन्द पिता-श्री सच्चिदानन्द [redacted]	ग्राम+पोस्ट-मंजौर, जिला-नवादा ।	समाजसेवा	Parmanand
4.	श्री बसन्त प्रसाद शर्मा पिता-स्व० जगदेव सिंह	ग्राम+पोस्ट-मंजौर, जिला-नवादा ।	समाजसेवा	[illegible]
5.	श्री रामदेव मोची पिता-श्री सूरज मोची	ग्राम+पोस्ट-मंजौर, जिला-नवादा ।	समाजसेवा	[illegible]
6.	श्री बालेश्वर महतो पिता-स्व० पूरन महतो	ग्राम+पोस्ट-मंजौर, जिला-नवादा ।	समाजसेवा	[illegible]
7.	श्री पवन कुमार पिता-श्री कामेश्वर यादव	ग्राम+पोस्ट-बलवापर, जिला-नवादा ।	समाजसेवा	श्री पवन कुमार

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं ।

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

हस्ताक्षर

पता एवं मुहर

प्रशाखा पदाधिकारी
प्राथमिक शिक्षा
विकास भवन, पटना

विवेकानन्द कल्याण समिति
की
नियमावली

1. संस्था का नाम : विवेकानन्द कल्याण समिति

2. परिभाषा :

(क) संस्था से अभिप्राय है : विवेकानन्द कल्याण समिति ।
(ख) समिति से अभिप्राय है : संस्था की कार्यकारिणी समिति ।
(ग) पदाधिकारी से अभिप्राय है : अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।
(घ) वर्ष से अभिप्राय है : 1 ली अप्रैल से 31 मार्च तक ।
(ङ) ऐक्ट से अभिप्राय है : सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860

3. सदस्यता :

प्रत्येक व्यक्ति जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक की हो जो संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हों वे संस्था के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता ग्रहण करने हेतु उसे विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। संस्था के प्रत्येक सदस्य को 21/-रूपया प्रवेश शुल्क एवं 25/-रूपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा ।

4. सदस्यता की समाप्ति :

(क) स्वयं त्याग पत्र देने पर ।
(ख) पागल या मृत्यु होने पर ।
(ग) सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।
(घ) समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर ।
(ङ) न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।
(च) बिना कारण बताये समिति की लगातार तीन बैठक में अनुपस्थित रहने पर ।

5. कार्यकारिणी समिति का गठन :

(क) कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित 7 (सात) सदस्य होंगे ।
(ख) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा किया जायेगा ।
(ग) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्षों का होगा, निवृत्त सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं।
(घ) यदि किसी कारणवश समिति में कोई पद रिक्त होगा तो उक्त पद पर किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकती है। लेकिन वार्षिक बैठक में उसे विधिवत् पारित कराना होगा। मनोनीत सदस्य उसी पद के अनुरूप कार्य करेंगे जिस पद के लिए उनका मनोनयन किया गया है।

Parmanand

6. **कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य :**

(क) संस्था के चल एवं अचल संपत्ति का उत्तरदायी होगा ।
(ख) संस्था के सभी कार्यों का संपादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना ।
(ग) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य संचालित करना ।
(घ) उप-शाखा का निर्माण करना ।
(ङ) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विचार-विमर्श करना ।
(च) संस्था के प्रति होने वाली नियंत्रण को बरकरार रखना ।

7. **आम सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :**

(क) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।
(ख) संस्था के आय-व्यय का लेखा पर विचार करना तथा स्वीकृति देना ।
(ग) अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।
(घ) अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना ।

8. **बैठक :**

(क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर होगी ।
(ख) आम सभा की साधारण बैठक प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में होगी ।
(ग) कार्यकारिणी समिति की अत्यावश्यक बैठक कभी भ्झी बुलायी जा सकती है ।

9. **प्रार्थित बैठक :**

1/3 सदस्यों की लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा। आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक का आयोजन नहीं करते हैं तो आवेदक को अधिकार होगा कि आवेदन में उल्लिखित विषय के निर्णय हेतु बैठक का आयोजन कर सकते हैं ।

10. **बैठक की सूचना :**

(क) कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जायेगी ।
(ख) आम सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी ।
(ग) कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जायेगी ।
(घ) बैठक की सूचना सूचना पंजी में हस्ताक्षर प्राप्त कर दी जायेगी ।

11. **कोरम :**

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का साधारण बहुमत होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी ।

12. **पदाधिकारियों के अधिाकर एवं कर्त्तव्य :**

अधयक्ष :

(क) संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।

(ख) किसी विषय पर मतदान के समय पक्ष या विपक्ष में समान मत आने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।

(ग) कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।

सचिव :

(क) प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।

(ख) बैठक की कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।

(ग) प्रत्येक पंजी एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।

(घ) संस्था की ओर से पत्राचार करना ।

(ङ) संस्था के आय-व्यय का अंकेक्षण कराना ।

(च) अध्यक्ष की राय से अन्य कार्य करना ।

(छ) कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश कार्यकारिणी समिति के सलाह पर करना ।

(ज) संस्था के हित में कार्य करना ।

कोषाधयक्ष :

(क) संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना ।

(ख) सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुक्ल आदि प्राप्त कर रसीद देना ।

(ग) संस्था के कोष को किसी निबंधित बैंक/डाकघर में संस्था के नाम पर जमा करना ।

13. **आय का श्रोत :**

(क) सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क ।

(ख) सरकारी, गैर-सरकारी, दान, अनुदान, सहायता ।

(ग) प्रशिक्षण के दौरान संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से ।

14. **कोष का संचालन :**

संस्था की सभी राशियाँ संस्था के नाम खुले डाकघर या राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा की जायेगी तथा सभी रकम की निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी ।

Parmanand

15. **निधि का अंकेक्षण** :

(क) संस्था के आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आम सभा के द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षित कराया जायेगा ।

(ख) निबंधन महानिरीक्षक कभी भी अपने विवेक से संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त चाटर्ड एकाउन्टेन्ट से कर सकते हैं जिसका शुल्क संस्था वहन करेगी ।

16. **संस्था का निरीक्षण** :

संस्था की सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य या सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं।

17. **नियमावली में संशोधान** :

नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा।

18. **कानूनी कार्रवई** :

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति की सलाह से की जायेगी ।

19. **विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था** :

(क) आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा।

(ख) संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 21, 1860 की धारा 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।

(ग) संस्था के विघटनोपरान्त जो भी चल या अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर समान उद्देश्यवाली दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली सच्ची प्रति है ।

Shital

अध्यक्ष **कोषाध्यक्ष** **सचिव**

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

भा.से. निबंधन महानिरीक्षक, बिहार

सेवा में,

उप निबंधन महानिरीक्षक महोदय,

बिहार, पटना ।

विषय :- **''विवेकानन्द कल्याण परिषद्'' नामक संस्था के निबंधन करने के संबंध में ।**

महाशय,

सेवा में निवेदन यह है कि उक्त संस्था के सभी आवश्यक कागजात आपके कार्यालय में जमा कर रहा हूँ ।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त संस्था को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधन करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

Parmanand

सचिव

अनुलग्नक :-

1. 50/- रूपया का ट्रेजरी चलान ।
2. 15/- रूपया का ट्रेजरी चलान ।
3. 25x2=50/- रूपया का स्टाम्प पेपर ।
4. आम सभा का प्रस्ताव ।
5. स्मृति पत्र एवं नियमावली तीन प्रति में ।

18/8/23